तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **श्रवणराम् बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम, जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 51/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-03-2022	अपीलार्थी श्रवणराम पुत्र सुगनाराम, पता गांव घोड़ावट तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक ...... में उसके द्वारा (1) ग्राम घोडावट के खसरा नम्बर 343 की 418.03 बीघा राजकीय भूमि औद्योगिक परियोजनार्थ हेतु 2010 में मारवाड़ सीमेंट लि0 को आंवटन बाबत् विचाराधीन आवेदन पत्र को मीनंट ऑफ मिटिंग दिनांक 23.01.2014 को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध मारवाड़ सिमेट लि0 द्वारा रिट याचिका सं0 1312/2014 व 19166/2013 लगाकर राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर में चुनौति दी गई, उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 06.10.2017 के जरिये निरस्तीकरण दिनांक 23.01.2014 को खारिज करते हुए अप्रार्थीगण (जिला कलक्टर जोधपुर वगैरा) याचिकाकर्ता मारवाड़ सिमेंट के साथ अनुबंध निष्पादित का आदेश दिया गया, उक्त आदेश की अनुपालना मे निष्पादित अनुबंध की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम,जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर, प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 337 दिनांक 23.03..2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी श्री श्रवणराम को इस कार्यालय के पत्रांक 320 दिनांक 21.03.22 द्वारा कुल 09 पृष्ठीय बिन्दुवार सूचना निशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:19:17 IST
Reason: SelfAttested